

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
पत्रांक- 1250 / 11-सी-FP/UP/Approach/13881/2015, लखनऊ, दिनांक: नवम्बर 10, 2023

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, (मध्य क्षेत्र),
केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।

विषय:- कार्योपरान्त स्वीकृति (Ex-post Facto) के अन्तर्गत अलीगढ़-रामघाट मार्ग (एम०डी०आर०-105) किमी० 15.150 की बायीं पटरी पर ग्राम-उखलाना के खसरा सं०-1470 में एस्सार ऑयल लि० द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.0768 हे० संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति। (प्रस्ताव सं०-FP/UP/Approach/13881/2015)

सन्दर्भ: भारत सरकार का पत्रांक-8बी०/यू०पी०/०6/34/2018/एफ०सी०/13, दिनांक-10.04.2018

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में की गयी बिन्दुवार आपत्तियों का निराकरण कर वांछित सूचना/अभिलेख वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ ने अपने पत्रांक-1674/14-1, दि० 09.11.2023 द्वारा ऑनलाईन प्रेषित किया गया है।
अतः वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ द्वारा ऑनलाईन अपलोड कर प्रेषित की गयी बिन्दुवार आपत्ति का निराकरण इस अनुरोध के प्रेषित किया जा रहा है कि कृपया विषयगत प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय,

(अनुपम गुप्ता)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या- 1250/11-सी FP/UP/Approach/13881/2015, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।
- 2- प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, अलीगढ़।
- 3- डिवीजनल मैनेजर, एस्सार ऑयल लि० ए-5, से०-3, नोएडा।

(अनुपम गुप्ता)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या- 1250/11-सी FP/UP/Approach/13881/2015, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2, लखनऊ को उपरोक्तानुसार एक प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अनुपम गुप्ता)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक- 1673/14-1 (13881/2015) दिनांक अलीगढ़, नवम्बर 09, 2023

सेवा में

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय-

कार्योपरान्त स्वीकृति (Ex-post-facto) के अन्तर्गत अलीगढ़-रामघाट मार्ग (एम0डी0आर0-105) किमी0 चैनैज 15.150 की बायी पटरी पर ग्राम-सखलाना के खसरा सं0-1470 में एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0768 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।
(ऑन लाइन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Approach/13881/2015)

सन्दर्भ-

- 1- भारत सरकार, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्रांक- 8वी/यू0पी0/06/34/2018/एफ0सी0/327 दिनांक 28.08.2023.
2. आपका पत्रांक- 563/11सी-FP/UP/others/13881/2015 दि0 04.09.2023.
- 3-प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग अलीगढ़ का पत्रांक-1696/अलीगढ़/13881/2015 दिनांक 31.10.2023.

महोदय

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव में भारत सरकार के संदर्भित पत्र द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग अलीगढ़ के पत्रांक-1696/अलीगढ़/13881/2015 दिनांक 31.10.2023 से इस कार्यालय में उपलब्ध कराया गया है। प्रभाग से प्राप्त आख्या निम्न प्रकार सुसंगत अनिलेख सहित ऑनलाइन संलग्न कर प्रेषित है-

S.No.	Objection	Reply
1	Violation of PCA, 1980 shall be stopped immediately	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रकरण में निदेशानुसार क्षेत्रीय वन अधिकारी, अलीगढ़ रेंज द्वारा दिनांक 03.10.2023 को प्रसंगत रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण का अवेधानिक रूप से किये जा रहे गैर वानिकी प्रयोग को तारबाद लगाकर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन को पूर्णतया रोक दिया गया है। क्षेत्रीय वन अधिकारी, अलीगढ़ रेंज द्वारा अपने पत्र संख्या-102/2-1, दिनांक 20.10.2023 अवगत कराया गया है कि सम्पर्क मार्ग पर किसी प्रकार की कोई आवाजाही संचालित नहीं है एवं संरक्षित वन भूमि को अपने कब्जे में ले लिया गया है। सुलभ सन्दर्भ हेतु उल्लंघन को रोक जाने के छायाचित्र संलग्न हैं। (संलग्नक-1)
2	Show cause notice shall again be issued by DFO to Nayara Energy for reply of previous show cause notice	प्रकरण में वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ के पत्र संख्या 1432/14-1, दिनांक 30.10.2019 (संलग्नक-2) द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के उल्लंघन की दशा में निर्गत नोटिस के क्रम में प्रभागीय कार्यालय, अलीगढ़ के पत्र संख्या-1016/Aligarh/13881/UP-134/2015 दिनांक 15.09.2023 (संलग्नक-3) द्वारा प्रयोक्ता एजेसी को नोटिस निर्गत किया गया है। निर्गत नोटिस के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेसी के पत्र दिनांक 07.10.2023 द्वारा उत्तर/पक्ष प्रेषित किया गया है कि प्रयोक्ता द्वारा भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समस्त गाइडलाइन्स का पालन किया जायेगा। सुलभ सन्दर्भ हेतु प्रयोक्ता एजेसी के पत्र दिनांक 07.10.2023 को छायाचित्र संलग्न कर प्रेषित हैं। (संलग्नक-4)

3	Senior Officer of Nayara Energy Ltd. shall be present in next REC meeting.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पत्र दिनांक 18.09.2023 द्वारा प्राणवी धोषीय सशक्त समिति की बैठक में प्रतिभाग करने हेतु आश्वासन दिया गया है। (संलग्नक-5)
---	--	---

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

प्रदीप

(राकेश चन्द्रा)

वन संरक्षक,

अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक / 14-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि-द्विवीजनल मैनेजर, एस्सार ऑयल लि0 ए-5, से0-3 नोयडा, उ0प्र0 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग अलीगढ़ को उनके सन्दर्भित पत्र के क्रम में प्रेषित।

(राकेश चन्द्रा)

वन संरक्षक,

अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।